न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी :— दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या —08/2025 दायर दिनांक 03.03.2025 GCMS CASE NO-2025/8

1. परमेश्वरी देवी पुत्री पृथ्वीराज पुत्र खजानराम पत्नी पृथ्वीराज पुत्र संतराम जाति कुम्हार निवासी चक 5 केवाईडी पोस्ट ऑफिस 8 केवाईडी तहसील खाजुवाला
2. अंगुरी उर्फ सुनिता पुत्री पृथ्वीराज पत्नी इन्द्राज पुत्र मलुराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम पोस्ट खेरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

——अपीलांटस

बनाम

1. बाधोदेवी पत्नी स्व. पृथ्वीराज पुत्र खजानराम जाति कुम्हार निवासी भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. सुखियां उर्फ सुमन पुत्री पृथ्वीराज पुत्र खजानराम पत्नी बंशीराम जाति कुम्हार निवासी संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. सत्यनारायण पुत्र पृथ्वीराज पुत्र खजानराम जाति कुम्हार निवासी 6 एसजीआर भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
4. प्रेमकुमार पुत्र पृथ्वीराज पुत्र खजानराम जाति कुम्हार निवासी 8 एसजीआर संघर तहसील सूरतगढ़
5. चन्द्रकला पत्नी सत्यनारायण जाति कुम्हार निवासी 6 एसजीआर भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
6. विमलादेवी पत्नी प्रेमकुमार जाति कुम्हार निवासी 8 एसजीआर संघर तहसील सूरतगढ़
7. शाखा प्रबंधक, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, शाखा पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
8. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ पैरोकार राज
9. उप—उपपंजीयक सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

——रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित—

1. श्री भागीरथ बिश्नोई अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री कैलाश चन्द्र गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1, 3 ता 6
3. श्री सचदेवी बाली, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2
4. पैरोकार राज. रेस्पोडेंट संख्या 8

—::निर्णय::— दिनांक : 29.12.2025

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने जरिये अपील निवेदन किया कि रेस्पो. न. 1 के पति पृथ्वीराज पुत्र खजान के नाम से तहसील सूरतगढ़ के चक 8 एस.जी.आर. जमाबंदी संवंत 2073 ता 76 के खाता संख्या 91/91 के पत्थर नम्बर 14/320 मु.न. 51 किला नम्बर 13/1 ता 25/2 में 2.328 हैक्टेयर अनकमाण्ड, 0.075 गै.मु.रास्ता व 0.759 नहरी व पत्थर नम्बर 15/320 मु.न. 50 में किला नम्बर 16, 17, 23, 24, 25 सालम की 1.265 हैक्टेयर नहरी व पत्थर नम्बर 15/321 मु.न. 58 के किला नम्बर 2/1 से 5 में 0.430 नहरी, 0.076 खाला व 0.506 अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 5.439 हैक्टेयर कमाण्ड/अ.क गैं.मु. रास्ता खाला सहित भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड होकर कब्जा काश्त में चली आ रही थी। रेस्पोडेंट संख्या 1 बाधोदेवी ने तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष दिनांक 18.06.2024 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पृथ्वीराज द्वारा दिनांक 02.05.2022 को प्रार्थीया बाधोदेवी के नाम उक्त भूमि की वसीयत की गई थी। प्रार्थीया के पिता का दिनांक 23.05.2022 को देहान्त हो चुका है। अतः उक्त वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज किया जावे। प्रार्थीया बाधोदेवी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सूरतगढ़ ने उसी दिन पटवारी से रिपोर्ट मांगी व पटवारी ने दिनांक 18.06.2024 को ही रिपोर्ट करते हुए लिखा कि रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.01.16 12:11:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पृथ्वीराज के नाम हैं व रकबा वसीयतकर्ता को विरासतन प्राप्त हुआ हैं व वारिसों का कब्जा काश्त है व उक्त रकबा बैंक के पक्ष में रहन दर्ज हैं। पटवारी हल्का से रिपोर्ट आने पर प्रार्थना पत्र को प्रकरण संख्या 39/2024 पर दिनांक 21.06.2024 को दर्ज किया जाकर दैनिक समाचार पत्र में ऐतराज आंमन्त्रण करने का आदेश जारी करते हुए पत्रावली दिनांक 05.07.2024 को सुनवाई हेतु रखी गयी। दिनांक 05.07.2024 को आगे सुनवायी हेतु 30.07.2024 रखी गई व दिनांक 13.08.2024 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज किये जाने का आदेश अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का को जारी कर दिया गया व पटवारी हल्का ने इस आदेश की पालना में इन्तकाल न. 930 दिनांक 13.08.2024 को ही दर्ज कर दिया। जबकि जैर अपील भूमि पैतृक थी भूमि थी। पैतृक भूमि में हिन्दू उताराधिकार अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पिता के जीवनकाल में ही उसके पुत्रों व पुत्रीयों का हक कानूनी रूप से समाहित होता हैं। जैर अपील भूमि पृथ्वीराज को अपने पिता से प्राप्त हुई जिसमें अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंटगण 1/6 –1/6 हिस्सा के कानूनी हकदार थे। उक्त वसीयत उप–पंजीयक से पंजीबद्ध नहीं होने से मान्य नहीं है। उक्त वसीयत 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर लिखी गई है व स्टाम्प दिनांक 22.02.2022 को शपथ पत्र के लिए खरीदा गया था, जिस पर 2 माह पश्चात वसीयत लिख दी गई। बाघोदेवी के प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट के बिन्दू न. 2 में स्पष्ट अंकन किया हैं कि वसीयतकर्ता को भूमि विरासत से प्राप्त हुई हैं व बिन्दू संख्या 3 में यह रिपोर्ट की हैं कि रकबे पर सभी वारिसानो का है और वही काश्त करते हैं व बिन्दू संख्या 6 में रकबा बैंक के रहन है। अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य आ गया था कि रकबा पैतृक हैं जिसकी वसीयत करने का पृथ्वीराज कानूनी अधिकारी नहीं हैं व कब्जा काश्त भी सभी वारिसान का होने के बाद उनको तलब नहीं किया गया व ना ही बैंक को कोई सूचना नहीं दी गई व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक के दिन ही कानूनगो शाखा से पटवारी हल्का को आदेश होने व उसी दिन पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट कर दिया जाना एक ही दिन में सारी कार्यवाही किये जाने से यह संदेह पैदा होता कि यह सारी कार्यवाही अपने निजी प्रभाव का दुरूपयोग करते हुए या गैरकानूनी रूप से कार्यवाही करवायी गई हैं। वसीयत की विज्ञप्ति सचार पत्र सीमांत रक्षक में जारी किया जाना बताया है जो एक रेस्पोडेंट के इलाके में आता ही नही है। नियमानुसार दो राष्ट्रीय अखबारों में विज्ञप्ति निकाली जानी चाहिए थी। सामान्य रूप से जो व्यक्ति शारीरिक रूप से व मानसिक रूप से स्वस्थ हो व बिना किसी बाहरी दवाब के स्वतन्त्र रूप से अपने नाम की सम्पति की वसीयत कानूनी रूप से की जाती हैं वह वसीयत ही वसीयत की परिभाषा में आती हैं। जैरअपील आदेश की तथाकथित वसीयत दिनांक 02.05.2022 की करवायी जानी लिखी हैं व वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक 23.05.2022 यानि 20 दिन बाद ही स्वर्गवास हो गया। सच्चाई तो यह है कि स्व. पृथ्वीराज उस समय भंयकर रूप से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे व उस समय उनकी सामान्य स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो एक स्वस्थचित व्यक्ति की दशा में कोई भी वसीयत या निर्णय कर पाये। स्व. पृथ्वीराज मानसिक रूप से भी स्वस्थचित नहीं थे तथाकथित जैरवसीयत दिनांक से 6 माह पूर्व तो वो हिसारिया हेल्थ केयर हॉस्पीटल हनुमानगढ़ में भर्ती थे तथा उनकी मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित दवाईया, इन्जेक्शन आदि लग रहे थे। भर्ती पर्ची व डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाई पर्ची की चित्रप्रति भी अपील के साथ सलंग्न हैं। इसलिए भी जैरअपील वसीयत को स्वतन्त्र रूप से की गई वसीयत नहीं माना जा सकता व उसके आधार पर किया गया आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं। यह कि वसीयत के प्रथम पृष्ठ पर गवाहों के कोई हस्ताक्षर नहीं है। वसीयत के समय स्वतंत्र गवाहो द्वारा गवाही नहीं की गई है। वसीयतकर्ता पृथ्वीराज के दो पुत्रों रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 सत्यनारायण व प्रेमकुमार के हस्ताक्षर है जिन्होने पहले रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम जैर अपील भूमि का वसीयत इंतकाल दर्ज करवाया तथा थोडे दिन बाद अपनी पत्नीयों के नाम दान पत्र करवा लिया। उक्त वसीयत कूटरचित तरीके से तेयार की गई है जिसके आधार पर जैर अपील इंतकाल दर्ज किया गया है। अतः अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील इंतकाल निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण [illegible] तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भागीरथ [illegible] हाजिर आये। रेस्पोडेंट संख्या 1 , ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र गोदारा एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सचदेव बाली, रेस्पोडेंट संख्या 8 की ओर से पैरोकार राज हाजिर आये। शेष रेस्पोडेंटगण को भेजे गये सम्मन

अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़

926

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.01.16 12:11:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

विधिवत तामील होने के उपरांत भी आज दिनांक तक हाजिर नहीं आये। अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने कथन किया कि जैर अपील रकबा अपीलांट के पिता के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड था। जायज वारिस होने के नाते रकबा पर अपीलांट के हित निहित है तथा अपीलांट प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अनुमति प्रदान की जावे। वकील रेस्पोडेंट संख्या 1, 3 ता 6 ने उक्त प्रार्थना पत्र पर आपत्ति जाहिर करते हुए कथन किया कि वसीयतकर्ता मृतक पृथ्वीराज ने अपनी स्वेच्छा से वसीयत की है। उक्त वसीयत के आधार पर जैर अपील इंतकाल दर्ज हुआ है। अपीलांट प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाकर अपील खारिज की जावे। वकील रेस्पोडेंट संख्या 2 तथा रेस्पोडेंट संख्या 8 पैरोकार राज ने उक्त प्रार्थना पत्र कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि जैर अपील रकबा पृथ्वीराज के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड था जिसके विधिक वारिस होने के नाते अपीलांट के प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार साबित है। अतः अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा अपील अनुमति प्रदान की जाती है।

तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि जैर अपील इंतकाल दर्ज करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुना नहीं किया गया है। जैर अपील इंतकाल की जानकारी दिनांक 28.1.2025 को मिली। जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद है। अतः प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जावे एवं अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1997 पेज 184, आरआरडी 2005 पेज 627, आरआरडी 1955 पेज 556 की ओर ध्यान दिलाया। वकील रेस्पोडेंट संख्या 1, 3 ता 6 ने उक्त प्रार्थना पत्र पर आपत्ति जाहिर करते हुए कथन किया कि पृथ्वीराज द्वारा संपादित वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.8.2024 को इंतकाल दर्ज करने के आदेश पारित किये जिस पर पटवारी हल्का ने दिनांक 13.08.2024 को इंतकाल भरा जो दिनांक 22.08.2024 को सरंपच द्वारा स्वीकृत किया गया। इतनी कार्यवाही होने के उपरांत भी अपीलांट को उक्त आदेश का ज्ञान ना हो, यह मुमकिन नहीं है। अपीलांट द्वारा जानबूझ कर देरी की गई है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज किया जाकर अपील अपीलांट खारिज की जावे। वकील रेस्पोडेंट संख्या 2 तथा रेस्पोडेंट संख्या पैरोकार राज ने उक्त प्रार्थना पत्र कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। पत्रावली का अवलोकन करने से पाया कि अपीलांट प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है, जिन्हे जैर अपील इंतकाल दर्ज करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र में देरी का जो कारण अंकित किया है वह भी सन्तोषप्रद है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं कथन किया कि जैर अपील भूमि मृतक पृथ्वीराज की स्वअर्जित भूमि ना होकर पैतृक सम्पति थी, जिसकी वसीयत करने का उसे कोई हक नहीं था क्योंकि पिता के जीवनकाल में ही पुत्र पैतृक सम्पति में हम अर्जित कर लेता है। इस संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 40, न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1988, आरबीजे 2022 पेज 495, आरआरटी 2003 (1) पेज 157, सीजे (सिविल) (एससी)2023 (3) पेज 765, सीजे(सिविल) (एससी)2023 (4) पेज 869, सीजे (सिविल) (एससी)[illegible] पेज 76[illegible] सीजे (सिविल) (एससी)2023 (4) पेज 939, सीजे (सिविल) (एससी)2025 (1) पेज 62, की ओर [illegible] या। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व मू[illegible] / सुना ही नहीं किया गया जो कि आवश्यक प्रक्रिया है। इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 62 से 65 की ओर ध्यान दिलाया। उक्त वसीयत 100 रूपये के स्टाम्प [illegible] लिखी गई है व स्टाम्प दिनांक 22.02.2022 को शपथ पत्र के लिए खरीदा गया था, जिस पर 2 माह 10 दिवस पश्चात वसीयत तैयार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.01.16 12:11:06 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned with OKEN Scanner

गई। उक्त वसीयत के प्रथम पृष्ठ वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर भी नहीं है। वसीयत के गवाह स्वतंत्र गवाह ना होकर हितबद्ध है जो मान्य नहीं है। उक्त वसीयत उपपंजीयक से पंजीयबद्ध ना होकर नोटेरी से सत्यापित है जिस पर भी नोटेरी के गवाहान अंकित नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण योजना बनाकर एक ही दिन में समस्त कार्यवाही कर दी जो कि संदेहास्प्रद है। जैर प्रकरण भूमि के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 212 आरए प्रकरण संख्या 43/2025 ब अनवान अंगुरी उर्फ सुनीता बनाम चन्द्रकला आदि जैरकार है जिसमें दिनांक 24.02.2025 से स्थगन आदेश प्रभावी है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1, 3 ता 6 ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर ही जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व वसीयतगृहिता की उपस्थिति में मूल वसीयत से मिलान किया गया। अपीलांट द्वारा वसीयत को अवैद्य बताकर अपीलाधीन आदेश खारिज करने की मांग की गई है, जबकि वसीयत की वैद्यता के संबंध में सिविल न्यायालय से ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। अपीलांट के कथन है कि स्वस्थ व्यक्ति द्वारा ही वसीयत की जा सकती है जबकि वसीयतकर्ता पृथ्वीराज कैंसर बीमारी से पीडित था। इस संबंध में निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी वसीयत कर सकता है। मृत्यु शैया पर भी वसीयत की जा सकती है। उक्त वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से आपत्तियां चाही गई। कोई आपत्ति नहीं प्राप्त होने पर ही नियमानुसार इंतकाल दर्ज करने के आदेश पारित किये गये जिसके आधार पर जेर अपील इंतकाल दर्ज किया गया जो सही एवं विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर जैर अपील इंतकाल यथावत रखा जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 2 ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही पारित किया गया है जिसे यथावत रखा जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 8 पैरोकार राज ने दौराने बहस कथन किया कि जैर अपील निर्णय पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर एवं नियमानुसार ही पारित किया गया है। पैरोकार राज ने राज्य हित को ध्यान मे रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण में पृथ्वीराज द्वारा दिनांक 02.05.2022 को जैर प्रकरण भूमि की वसीयत अपनी पत्नी बाधोदेवी के पक्ष में सम्पादित करने पर उक्त वसीयत के आधार पर नामांतरण दर्ज करने बाबत रेस्पोडेंट संख्या बाधोदेवी द्वारा दिनांक 18.06.2024 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र पटवारी रिपोर्ट ली गई। उक्त प्रार्थना पत्र निर्णय पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ ने पटवारी हल्का संघर की रिपोर्ट दिनांक 18.06.2024 का गहनता से अवलोकन नहीं किया। रिपोर्ट पटवारी अनुसार तथा चक 8 एसजीआर की जमाबंदी संवत 2025 ता 2028 की जमाबंदी में उक्त रकबा वसीयतकर्ता पृथ्वीराज के पिता खजान पुत्र किशना के नाम दर्ज है। इससे साबित है कि उक्त रकबा पृथ्वीराज को विरास्तन प्राप्त हुआ है। इस संबंध में प्रस्तुत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 40 न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1988, आरबीजे 2022 पेज 495, आरआरटी 2003 (1) पेज 157, सीजे (सिविल) (एससी)2023 (3) पेज 765, सीजे(सिविल) (एससी)2023 (4) पेज 869, सीजे (सिविल) (एससी)2023 (3) पेज 765, सीजे (सिविल) (एससी)2023 (4) पेज 939, सीजे (सिविल) (एससी)2025 (1) पेज 62 अनुसार विरास्तन प्राप्त रकबा की वसीयत नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 1 बाधो देवी के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए उसके वारिसान को सुनवाई का नोटिस दिये बिना सीधे ही दैनिक सामाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना जारी कर दी जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध [illegible] जाहिर है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सोहन[illegible] के [illegible]िक वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट [illegible] प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में पूर्णतः चस्पा होते है। अतः अधीनस्थ [illegible] होने से निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.01.16 12:11:06 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned with OKEN Scanner

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पृथ्वीराज द्वारा संपादित वसीयत दिनांक 02.05.2022 की वैद्यता की विधिसम्मत प्रक्रिया अनुसार जाँच कर पुनः आदेश पारित करे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीनानाथ बब्बल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.01.16 12:11:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner